कार्यालय :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।
E-mail cf-chaibasa@gov.in/ P.O. Chaibasa, West Singhbhum

पत्रांकः CHAI/min/61/2018-254 दिनांकः :– 09-02-19

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजरभूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स, बरायबुरू–टाटीबा लौह एवं मैगनीज खनन पट्टा क्षेत्र–258.9896 हे0 में से 14.50 हे0 वनभूमि हेतु अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1272 दिनांक–12.12.2018 ।
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का ज्ञापांक–4082 दिनांक–26.12.2018 ।
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमडल, चाईबासा का पत्रांक–2760 दिनांक–31.12.2018 तथा पत्रांक 236 दिनांक 25.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भवदीय प्रासंगिक पत्र द्वारा मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स, बरायबुरू टाटीबा लौह एवं मैगनीज खनन पट्टा–258.9896 हे0 में से 14.50 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं संबंधित पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन बिन्दुवार **(Online)** वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत् हैः–

क्रमांक	पृच्छित बिन्दु	अनुपालन
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा गया Form-A (Part-1) में केवल 14.2002 हे0 क्षेत्र का Kml upload किया गया है, जबकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल–14.50 हे0 है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक–26.12. 2018 को Form-A के Part-1 में 14.50 हे0 का Kml File 06 Patches में upload किया गया है। Kml File (CD में) संलग्न समर्पित है(अनु0–1)।
02	Fom-A (Part-II) में CA area के upload Kml file में area marked नहीं है।	Form-A के Part-II में CA area का marked Kml file upload किया गया है। Kml file (CD में) संलग्न समर्पित है(अनु0–1)।
03	वन संरक्षक के अग्रसारण पत्र के पारा–II के तालिका से स्पष्ट है कि पूर्व अपयोजित 23.233 हे0 वनभूमि के अतिरिक्त 2.2476 हे0 जंगल–झाड़ी वनभूमि पर वर्त्तमान में खनन कार्य किया जा रहा है ।	प्रतिवेदित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.10(21)2-2000 FC (pt.) दिनांक 11.12.2009 द्वारा पूर्व खण्डित वनभूमि 25.480 हे0 (PF+RF+जंगल–झाड़ी क्षेत्र) में से 23.233 हे0 वनभूमि का अपयोजन स्वीकृति प्रदान की गई है ।

(कृ0पृ0उ0)

Destop ,Sudir)

यहाँ यह प्रतिवेदित करना है कि पूर्व अपयोजित 23.233 हे० वन भूमि के अतिरिक्त 2.2476 हे० क्षेत्र के संबंध में स्थलीय जांचोपरान्त वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 73 दिनांक 15.01.2019 छायाप्रति संलग्न (अनु0–2) द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा *वन प्रमण्डल, चाईबासा से अनुरोध किया गया था।*

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 236 दिनांक 25.01.2019 छायाप्रति संलग्न (अनु0–3) द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिवेदित करना है कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में 2.2476 हे० वनभूमि 25.10.1980 के पूर्व खण्डित क्षेत्र है। 2.2476 हे० क्षेत्र में खण्डित क्षेत्र 1.7056 हे०, अलग–अलग 07 पीटस में विभक्त है एवं शेष रकवा 0.542 हे० सड़क के लिए प्रतिवेदित है। उक्त 07 पीटस का क्षेत्र पुरी तरह से घनी झाड़ियों से भरा है, जिसका फोटोग्राफ्स संलग्न किया जा रहा है एवं उल्लेखित सभी पीटस को संलग्न नक्शे पर हरे रंग से दर्शाया गया है।

उक्त पूर्व खण्डित क्षेत्र हेतु 2.2476 हे0 (07 पीटस का रकवा जंगल–झाड़ी 1.7056 हे0 तथा सड़क का रकवा– 0.542 हे0) जंगल–झाड़ी 25.10.1980 के पूर्व खण्डित भूमि है, जिसपर 25.10.1980 के पश्चात् वर्त्तमान तक खनन कार्य नहीं किया गया है और न ही भविष्य में स्वीकृत लीज अवधि दिनांक 31.03.2020 तक बिना सक्षम स्तर के अनुमति के खनन कार्य किया जाएगा । इस संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया गया है जो अनुलग्नक–01 में संलग्न है ।

इस प्रकार अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 14.50 हे0 क्षेत्र हेतु कार्य ब्योरा निम्नवत् है :–

कमांक	कार्य ब्योरा	आवेदित वनक्षेत्र(हे0 में)
1	Excavated area	14.12
2	Infrastructure	0.12
3	Road	0.18
		14.50

आवेदित वनभूमि 14.50 हे0 में 4.5175 हे0 आरक्षित वनभूमि 9.8025 हे0 सुरक्षित वनभूमि एवं 0.180 हे0 जंगल–झाड़ी है ।

उपरोक्त अनुपालन प्रतिवेदन **(Online)** एवं उल्लेखित अनुलग्नकों की हार्ड कॉपी 5–5 प्रतियों में अत्रसह संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

अनु0:–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

9/2

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

9/2/19

Destop ,Sudir)